आर.एस.आर.डी.सी.के पूर्व एम.डी. से ए.सी.बी. ने पांच घंटे पूछताछ की

सुधीर माथुर और आरके लुथरा को पूछताछ के लिए बुधवार को फिर ए.सी.बी. मुख्यालय बुलाया

- ए.सी.बी. ने इस ममले में धौलपुर प्रोजेक्टर डायरेक्टर सियाराम मीणा, भरतपुर प्रोजेक्ट डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह और रिश्वत लेने वाले संविदा सलाहकार महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया था

जयपुर। राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आरएसआरडीसी) के पूर्व एमडी सुधीर माथुर और तत्कालीन चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर आरके लूथरा से मंगलवार को एसीबी ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही अधिकारियों को मंगलवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एमडी और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों की रिश्वत कांड में संदिग्ध है।

राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आरएसआरडीसी) घूसकांड में एसीबी ने तत्कालीन एमडी सुधीर माथुर सहित 6 जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एसीबी के इंस्पेक्टर राजेश कुमार राव की तरफ से दर्ज एफआईआर में बताया गया कि एसीबी को मिले इनपुट के आधार एक माह तक आरएसआरडीसी के कई लोगों के फोन सर्विलांस पर लिए थे। फोन रिकॉर्डिंग में घूसकांड की जानकारी सामने आई थी। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर आरोपी आरके लूथरा ने अपना आलीशान बंगला बना रखा है। लूथरा के परिजन और महिलाओं के नाम तीन बैंक लॉकर होने की जानकारी सामने आई थी।

इसी आधार पर एसीबी ने रिश्वत देने वाले धौलपुर प्रोजेक्टर डायरेक्टर सियाराम मीणा, भरतपुर प्रोजेक्ट डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह और रिश्वत लेने संविदा सलाहकार महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया था। एसीबी ने इनके बीच 1 लाख 20 हजार रुपए की रिश्वत का खुलासा किया, जबकि तलाशी के समय इनके पास 1 लाख 11 हजार रुपए के संदिग्ध राशि बरामद हुई। वहीं महेश गुप्ता के घर से 92 लाख रुपए भी मिले थे। गुप्ता ने घूस एमडी सुधीर माथुर के नाम से ली थी। एसीबी ने संविदा सलाहकार महेश गुप्ता, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह, सियाराम, ठेकेदार मनीष, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर आरके लूथरा व एमडी सुधीर माथुर सहित अन्य खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसीबी ने 6 मोबाइल जब्त किए थे।

एसीबी ने जब्त मोबाइल के डाटा की जांच की तो उस में कई चौकाने वाले खुलासे हुए। जिस में आरोपी महेश गुप्ता वर्ष 2017 में करौली ट्रेजरी से सहायक लेखाधिकारी के पद से रिटायर हुआ। दिसंबर 2022 से वह आरएसआरडीसी में संविदा पर सलाहकार के रूप में लगा हुआ था। गुप्ता ही पूरे राजस्थान के ठेकेदार के संपर्क में रहकर बजट आवंटन के एवज में एमडी के नाम से रिश्वत वसूल रहा था। कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्टर चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर आरके लूथरा को सीधे रिश्वत दे रहे थे।

भाजपा की वृहद कार्यसमिति की तैयारियों का जायजा लिया

जयपुर। भाजपा की आगामी 13 जुलाई को होने वाली वृहद कार्यसमिति की तैयारियों को लेकर आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी पी जोशी, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने सीतापुरा स्थित कार्यक्रम स्थल जेईसीसी सभागार का जायज़ा लिया और कार्यक्रम के लिए बनाई गई व्यवस्था टोलियो की विभाग वार बैठक ली। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सी पी जोशी ने पूरे कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया जिसमें पार्किंग स्थल, कार्यक्रम हॉल, भोजन स्थल पर जाकर सभी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

व्यवस्था बैठक के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी पी जोशी ने कहा कि कार्यसमिति में पूरे प्रदेश भर से भाजपा के कार्यकर्ता आएंगे। आयोजन के दौरान किसी भी कार्यकर्ता को परेशानी का सामना ना करने पड़े इसके लिए व्यवस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। कार्यसमिति पूरी तरह से भव्य और दिव्य हो इसके लिए पूर्व में भी बैठक कर कार्य विभाजन सहित बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को दायित्व सौंपे गए है।

राज्यपाल ने सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई

राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को राजभवन में मोहन लाल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सुरेश चंद गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। इन सभी ने ईश्वर के नाम पर हिन्दी भाषा में शपथ ली। आरंभ में राज्यपाल मिश्र को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तो को शपथ दिलाने के लिए आग्रह किया। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने सूचना आयुक्तों को बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्य मंत्री मण्डल के सदस्य, भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यपाल सचिव कविता सिंह, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्द राम जायसवाल सहित अनेक लोग मौजूद थे।

'ऐतिहासिक होगा राजस्थान सरकार का बजट'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का कल बुधवार को प्रस्तुत होने वाला बजट ना सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर भी साबित होगा। राजस्थान के गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण का बजट होगा। यह बात आज उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कही।

जोशी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार ने सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार काम करना शुरू किया उससे यह तस्वीर सामने आई कि प्रदेश में ऐसी सरकार बनी है जिसने पहले ही दिन से प्रदेश के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। सत्ता में आते ही 30 दिन में प्रदेश की जनता को 450 रूपये में उज्जवला गैस सिलेण्डर देने की घोषणा की। जनता ने देखा कि भाजपा की सरकार ने छ माह में ही जनहित में ईआरसीपी को धरातल पर उतारा, यमुना जल समझौता किया, सामाजिक पेंशन और किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जनता को सिर्फ वादे और नारे ही दिए, धरातल पर काम नहीं किया।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग अब संभालेगा डिजिटल म्यूजियम का जिम्मा

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में राजस्थान विधान सभा के डिजिटल म्यूजियम को राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप परिवर्तित और परिवर्धित किये जाने के लिए राजस्थान विधान सभा, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, वामा कम्यूनिकेशन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य चतुष्पक्षीय अनुबंध किया गया। विधान सभा में मंगलवार को हुए इस अनुबंध के तहत अब डिजिटल म्यूजियम का संचालन एवं संधारण राजस्थान विधान सभा के स्वामित्व एवं निर्देशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जायेगा। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सोच के अनुरूप म्यूजियम के प्रचार-प्रसार में अभिवृद्धि करने, पर्यटन मानचित्र में जोडने जैसे अद्भुत पहलों से स्थानीय और अन्य देशों के पर्यटकों की संख्या में म्यूजियम को देखने के लिए लगातार वृद्धि हो रही है। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयास डिजिटल म्यूजियम की पहचान के लिए रंग ला रहे है। इस चतुष्पक्षीय अनुबंध से विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में नये आयाम स्थापित होंगे।

विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि डिजिटल म्यूजियम की विषय वस्तु में दर्शकों के इनपुट के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप अनुसंधान समिति की अनुशंषा पर और अधिक समृद्ध ज्ञान का समावेश किया जावेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल म्यूजियम की प्रवेश दीर्घा को राजस्थान की कला व संस्कृति के अनुरूप आकर्षक बनाया जायेगा। म्यूजियम रैम्प पर राजस्थान की पारम्परिक लघु चित्र शैली, माण्डना, कावड, मूमल इत्यादि लोक कला के चित्रण को विशिष्ट स्थान दिया जायेगा। रैम्प के दोनों और उद्धयान में राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियों यथा खेजडी इत्यादि के वृक्ष भी रोपित किये जायेंगे। राजस्थान के विभिन्न अनचलों की पहचान को दर्शाने वाली लोक चित्रकला को दर्शाया जायेगा।

देवनानी ने बताया कि राजस्थान के महापुरूषों महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुम्भा, स्वामी विवेकानन्द, डॉ. भीमराव अम्बेडकर को यथानुसार संग्रहालय में समावेशित किया जायेगा। रियासती काल के विकास की दीर्घा की जानकारी को भी संशोधित कर अभिवृद्धि दी जायेगी।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम को राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप परिवर्तित और परिवर्धित किये जाने के लिए राजस्थान विधान सभा, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, वामा कम्यूनिकेशन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य चतुष्पक्षीय अनुबंध किया गया।

राजस्थान में हो रही है मंत्रियों की जासूसी : डोटासरा

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के बजट से पहले ने प्रदेश की भाजपा सरकार की कार्यशैली पर बड़ा आरोप लगाते हुए हमला बोला है। मंगलवार को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंचे डोटासरा सरकार में मंत्रियों के यहां विशेष सहायक मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के बाद मंत्रियों के पास आने वाली फाइलों की रिपोर्ट दिल्ली और ब्यूरोक्रेसी को भेजी जा रही है। यह लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में मंत्री इस्तीफा लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को काम करने की स्वायत्तता नहीं हैं। डोटासरा के इस आरोप से बड़ा बवाल मच सकता है।

डोटासरा ने कहा कि सरकार की ओर से बुधवार को पेश किए जाने वाले बजट को लेकर कहा कि वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी सदन में बजट पढ़ेंगीं, लेकिन बजट से पहले सुझाव के लिए उन्होंने एक भी बैठक नहीं ली, बल्कि सभी बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली हैं।

चर्चा में बने रहने के लिए डोटासरा देते रहते हैं नौटंकीपूर्ण बयान : कन्हैयालाल चौधरी

जयपुर। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा सत्ता जाने के बाद मानसिक संतुलन खो चुके हैं और चर्चा में बने रहने के लिए नौटंकीपूर्ण और हास्यास्पद बयान देते रहते हैं। भाजपा की भजनलाल सरकार महज 6 माह में अपने ऐतिहासिक निर्णयों के साथ अपने संकल्प पत्र की अधिकांश घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक जैसी घटनाओं पर ढिलाई बरतने वाले और मौन रहने वाले डोटासरा आज सत्ता जाने के बाद भाजपा की जनहितैषी सरकार के कामों में कमी निकाल रहे हैं। चौधरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक किसान के बेटे भजनलाल शर्मा सरकार में व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है। भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता राजस्थान को समृद्ध बनाने की है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें और केवल अवसर ही नहीं बढ़े बल्कि उनमें पारदर्शिता हो, कोई पेपर माफिया हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके इसके लिए एसआईटी का गठन हुआ।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती निर्मला होलानी पत्नी स्वर्गीय श्री गिरीज होलानी का एक हाउस/फ्लैट 10/474, सेक्टर 10, गौरव टॉवर के पास, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान में स्थित है। यह कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती निर्मला होलानी ने उपरोक्त फ्लैट का मालिकाना हक जरिये रजिस्टर्ड हक-त्याग पत्र दिनांक 05.06.2024 से प्राप्त हुआ। यह कि उपरोक्त फ्लैट सर्वप्रथम राजस्थान आवासन मण्डल ने सरस मार्गव पुत्री श्री एस. एल. मार्गव के नाम से जारी किया था जिसका मूल आवंटन पत्र संख्या 319 दिनांक 15.06.1989, कब्जा पत्र दिनांक 10.01.1990 एवं हैण्डिंग ओवर सर्टिफिकेट दिनांक 11.01.1990 कहीं खो जाने की वजह से सरस मार्गव पुत्री श्री एस. एल. मार्गव ने उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट पुलिस थाना जवाहर सर्किल, मालवीय नगर, जयपुर में कमांक K-81 दिनांक 28.08.2009 को करवा रखी थी जो आज दिनांक तक उपरोक्त मूल दस्तावेज नहीं मिले है अभी उक्त सम्पत्ति को श्रीमती अनुपमा तिवारी पत्नी श्री राजेश कुमार पारीक क्रय करना चाहती है जिसके लिए वे SBI Bank, RACPC, Mini, Jaipur से ऋण लेना चाहती है। यदि किसी व्यक्ति बैंक व अन्य किसी को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। भवदीय- रामस्वरूप मीणा (अधिवक्ता) सी-112, राम गली नं. 5, राजापार्क, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री कन्हैया लाल पुत्र स्व. श्री मूलचन्द, निवासी 65, नदी एरिया, बैरवा बस्ती, पार्क के सामने, पुरानी बस्ती, जयपुर के पुत्र सत्यनारायण प्रजापत व गजानन्द प्रजापत तथा उनकी पत्नियों व बच्चे उनके कहने में नहीं है और अत्यधिक हैरान परेशान कर रखा है। मेरे अभिभाष्य अपने पुत्रों सत्यनारायण प्रजापत व गजानन्द प्रजापत तथा उनकी पत्नियों व बच्चों को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हैं और भविष्य में इन सभी का मेरे अभिभाष्य की चल अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा नाही इनसे किसी भी प्रकार का लेन देन करने वाले की कोई जिम्मेदारी मेरे अभिभाष्य की होगी। सूचित रहें। धर्मवीर कुशवाहा (एडवोकेट) मो. नं. 9694449995

आम सूचना मेरे अभिभाष्य श्री रमेश कटारिया अध्यक्ष व संस्थापक चाईल्ड फ्यूचर NGO प्लाट नं. 1 कल्याण कुंज, खिरणी फाटक रोड़, जयपुर के निर्देशानुसार सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि NGO में कार्यरत श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार ने NGO के अकाउंट में हेराफेरी कर गबन किया है इसलिए उसे दिनांक 06-07-2024 को सभी NGO सदस्यों की राय व निर्णय के आधार पर संस्था से निष्काशित कर दिया गया है। अतः कोई भी संस्था या व्यक्ति उपरोक्त व्यक्ति देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार से कोई संव्यवहार नहीं करें और यदि कोई व्यक्ति या संस्था उक्त व्यक्ति से कोई संव्यवहार करते है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे। मनोज कुमार शर्मा (एडवोकेट) ए-259, नेहरू नगर, पानी पेच, जयपुर-302016 मो. 9829803092

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 241/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सीता राम यादव पुत्र श्री हनुमान सहाय यादव निवासी ढाणी शेखावाली, लालन्दपुरा, निवारू रोड, जयपुर-302012 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत हनुमान ग्राम सेवा ट्रस्ट प्रन्यास पता- ग्राम लालचन्दपुरा, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 05.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09.09.2024
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 56/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री पीयूष गोस्वामी पुत्र श्री अरविन्द कुमार गोस्वामी, गोस्वामी सदन, पुराने अस्पताल के सामने, बहरोड, अलवर, राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मंथन फाउंडेशन चरिटेबल ट्रस्ट, वार्ड नं. 5 बहरोड अलवर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 10.09.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है एक अचल सम्पत्ति शहर जयपुर में सेक्टर-12 जोन 122-बी, मानसरोवर में दुकान नम्बर एस-18 स्थित है जिसकी पैमाईश पूर्व से पश्चिम 3.00 मीटर व उत्तर से दक्षिण 3.00 मीटर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9.00 वर्गमीटर है। उक्त सम्पत्ति का वर्तमान में मेरा अभिभाष्य श्री जय कुमार सचदेव पुत्र निर्मल कुमार सचदेव, निवासी 21/186 कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) पंजीकृत स्वामी व मालिक है। मेरा अभिभाष्य श्री जय कुमार सचदेव उक्त वर्णित दुकान को बेचना चाहता है। सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति दुकान के विधिक वारिसान मालिकाना हक, स्वामित्व, कब्जे व विक्रय/अन्तरण के विधिक अधिकार आदि को लेकर यदि कोई आपत्ति हो तो सूचना प्राप्ति से 07 दिवस में लिखित मय साक्ष्य दस्तावेज मेरे पते पर सूचित करें अन्यथा बाद मियाद आपत्ति शून्य, अप्रभावी, अमान्य गैरकानूनी समझी जावेगी तथा मेरे अभिभाष्य द्वारा उक्त दुकान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा किसी अन्य दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। इरफान खान, एडवोकेट, मो.नं. 9610000076

आम सूचना हर खास आम सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत वोर्ड बगरू कला तहसील सांगानेर द्वारा दिनांक 20.02.1957 को पट्टा संख्या 33 कुल क्षेत्रफल 96.00 वर्गगज श्री रामकुवार पुत्र भीवा (कानाराम) रैगर के पक्ष में जारी किया गया था। रामकुवार पुत्र भीवा (कानाराम) की मृत्यु दिनांक 18.09.2019 को हो चुकी है। मृतक रामकुवार के कानी देवी (पत्नी), राधेश्याम, सीताराम (पुत्र), प्रेम देवी, बदाम देवी (पुत्रियां) आदि विधिक वारिसान है। कानी देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। इन सभी वारिसान के अलावा अन्य कोई भी उक्त संपत्ति में अपना अधिकार रखता हो तो उच्च सूचना प्रकाशन से सात दिवस के भीतर मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता से मय दस्तावेज के साथ संपर्क करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। सूचित रहे। सुरेन्द्र शर्मा, एडवोकेट, दूदू, मो. 9414297482

आम सूचना मेरे अभिभाष्य शेर सिंह पुत्र स्व. मनोहर सिंह का पुत्र नरेन्द्र सिंह वैद पुत्र शेर सिंह वैद उम्र 25 वर्ष, निवासी-3839 नाईयों की गली, एम.एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर मेरे कहने में नहीं है अतः सूचित किया जाता है कि मैं अपनी चल व अल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ कोई भी व्यक्ति नरेन्द्र वेद से किसी भी प्रकार का लेन-देन करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
जयपुर (जी.पी. चित्तौड़िया) एडवोकेट
दिनांक-06.07.2024 मो. 9460654215

न्यायालय तहसीलदार तहसील दूदू जिला दूदू
क्रमांक LR/24/2344 दिनांक-09.07.2024
आम सूचना
जरिये प्रार्थना पत्र श्री सत्यनारायण, बजरंगलाल, नाथूलाल पिता रामकिशन जाति हिन्दू कलाल निवासी पडासोली एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का पडासोली के ग्राम पडासोली के खाता सं. 312 के आ.ख.न. 1502 रकबा 2.37 है, 1503 रकबा 0.02 गैर मु.चाह, 1504 रकबा 1.40 है बा 3 कुलकिता 3 रकबा 3.79 है। भूमि का विरासत नामान्तकरण मृतक खातेदार भंवर लाल पुत्र विशनाराम जाति कलाल सा. देह का वसीयत ग्रहिता सत्यनारायण, बजरंग लाल, नाथूलाल पिता रामाकिशन जाति कलाल नि. पडासोली के पक्ष में उप पंजीयक मौजमाबाद द्वारा दिनांक 07.11.2006 को पंजीबद्ध प्रभावित है। के आधार पर खोलने की कार्यवाही न्यायालय हाजा में RLR Act 1956 की धारा 135(2) अन्तर्गत जेरकार है।
वसीयतकर्ता भंवर लाल की दिनांक 07.12.2013 को मौत हो चुकी है अतः हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक कार्यालय मौजमाबाद में दिनांक 07.11.2006 को जि.स. 5 पृष्ठ सं. 59 क्रमांक 2006000009 पर पंजीबद्ध वसीयत पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/दावा/हक अथवा अन्य कोई वसीयत हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के सात दिवस में स्वयं अथवा प्लीडर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें कोई आपत्ति/दावा/प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जावेगा।
तहसीलदार दूदू (भू.अ.) तहसील दूदू (जि. दूदू)

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 5059/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी 1. राजेश सैनी पुत्र स्व. श्री गोपीराम सैनी, 2. जगदीश सैनी पुत्र स्व. श्री गोपीराम सैनी निवासीगण-प्लाट नं.2 तिकलिया बस्ती टोंक फाटक, जयपुर 3. श्रीमती रूपा सैनी पत्नि श्री फुलचन्द सैनी पुत्री स्व. श्री गोपीराम सैनी निवासी-59-ए, दयानंद कॉलोनी, मानसिंहपुरा टोंक रोड़, जयपुर मृतक कल्ली बाई की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 08.08.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम कल्ली बाई पत्नी स्व. श्री गोपीराम सैनी निवासी श्रीराम बुकडियों दुकान नं. 357 तिकलिया बस्ती टोंक फाटक, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 08 माह 08 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 06 माह 07 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीगण ने मृतका कल्ली बाई के नाम बैंक में जमा मूल दस्तावेज प्राप्ति बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
आज्ञा न्यायालय से
मोहर अदालत
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

Court
District Consumer Disputes Redressal Commission-Second Old Jail Road, Civil Lines, Bareilly
Complaint No. 172/2020
Notice vs Through Manager, Nice Cargo Packers & movers. E-58 Shree Ram Vihar Gali No. 3 Bajri Mandi Road, Vaishali Nager Jaipur-302034
You are informed that a complaint letter has been submitted to this Commission against you under the Consumer Protection Act 2019 dated 24.12.2020 by Akash Malviya S/o Satendra Kumar Malviya, R/o Flat No. 308 Megadream Homes Saidpur Hawkins PS Izzatnagar District Bareilly. A coy of which is attached with this notice.
Therefore, you are ordered to present your statement in this regard personally or through your authorized representative before this commission by 10.30 am on 02.09.2024 and in support of your statement whoever wants to file the record, please file it.
If you do not submit your reply within the above period after receiving the notice, an ex-party order will be passed against you.
Released 25.06.2024 Today.
SEAL
With permission Chairman District Consumer Disputes Redressal Comission Second Bareilly.

वैध खनन को बढ़ावा देकर ही अवैध खनन पर अंकुश : भगवती प्रसाद

- पहली तिमाही में ही 218 माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी

जयपुर। राज्य के खनिज विभाग ने अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए मेजर और माइनर मिनरल के अधिक से अधिक प्लॉट तैयार कर ई-ऑक्शन पर फोकस किया है। अवैध खनन का मुख्य कारण वैध तरीके से रिसोर्स रिच एरिया खनिज बहुल क्षेत्रों में समय रहते आक्शन नहीं करना है। इसी कारण से प्राथमिकता से डेलिनियेशन कार्रवाई कर नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। इसी रणनीति के तहत फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन क्षेत्रों और माइनिंग लीज क्षेत्र के गैप एरिया को चिन्हित कर वहां डेलिनियेशन कर ऑक्शन के लिए ब्लॉक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ डेलिनियेशन से प्लॉट तैयार होते ही उनकी ऑक्शन की कार्रवाई शुरु करते हुए अप्रेल से जून तक तीन माह में ही 218 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी हैं।

निदेशक माइंस एवं भूविज्ञान भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि वैध खनन को बढ़ावा देकर ही अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सकता हैं। मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का रोडमेप बनाते हुए नई सरकार के गठन के बाद से ही खनिज ब्लॉक तैयार कर चरणवद्ध तरीके से नीलामी की जा रही है। यही रणनीति मेजर मिनरल के ब्लॉकों को लेकर है और मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में भी राजस्थान को शीर्ष पर लाने के कदम उठाये जा रहे हैं। इससे वैध खनन को प्रोत्साहन और राजस्व व रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो सकेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जो स्वयं खान मंत्री भी हैं ने 11 जनवरी, 24 को आयोजित खान विभाग की पहली समीक्षा बैठक में ही 15 जनवरी से 31 जनवरी तक राज्यव्यापी संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव सुधांश पंत और खान सचिव आनन्दी लगातार राज्य स्तर पर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई की मोनेटरिंग और अवैध खनन के कारणों की तह तक जाने के प्रयास करने के साथ ही जिला कलक्टरों से समन्वय बनाया जा रहा है। अवैध खनन क्षेत्रों के साथ ही लीज धारकों या अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त तत्वों द्वारा माइनिंग लीजों के गैप स्थान पर भी चोरी छिपे अवैध खनन किया जाता है, यही कारण है कि उनके हित प्रभावित होने के कारण गैप एरिया में प्लॉट तैयार कर ऑक्शन कार्य में अवरोध पैदा करने के प्रयास किये जाते हैं।

लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफरों के पदस्थापन आदेश जारी

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के 2751 अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। सभी अभ्यर्थियों का पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा विभाग ने 20 हजार 500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति दी है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ